an>

title: Need to provide educational loans to students belonging to economically weaker sections on low interest rates.

श्री सदाशिव लोखंडे (शिर्डी) ः गरीब परिवार के छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण किए जाने के लिए बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋण प्रदत्त किया जाता है। गरीब परिवार के छात्र सिविल, मैकेनिकल, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, चिकित्सा इत्यादि की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी पाते हैं तो उनके ऊपर शैक्षणिक ऋण एवं इसके ब्याज को अदा करने की बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। मगर, आज स्थिति यह है कि कई वर्षों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें काफी लंबे अंतराल के बाद कुछ हज़ार रूपए प्रतिमाह की नौकरी मिलती भी है तो ऋण एवं उसका ब्याज अदा करने में उनको एवं उनके परिवार को मानसिक वेदना झेलनी पड़ती है। यदि समय रहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा गरीब परिवार के छात्रों को शिक्षा प्राप्त किए जाने हेतु शैक्षणिक ऋण की ब्याज दर को कम नहीं किया गया तो छात्रों एवं उनके परिवार को उसी विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आज हमारे देश के किसान ऋण अदा करने में आत्महत्या जैसे अमानवीय कदम को उठाने में कर रहे हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के गरीब परिवार के छात्रों को बैंकों से मिलने वाले शैक्षणिक ऋण की ब्याज दर 2 प्रतिशत किए जाने एवं जिस निजी इंस्टीट्यूट में छात्र शिक्षा ग्रहण करता है, उसी शिक्षण संस्था द्वारा छात्र के अध्ययन करने की अवधि तक शिक्षा ऋण की ब्याज अदायगी की जिम्मेदारी सुनिश्चित किए जाने से संबंधित बैंक, इंस्टीट्यूट एवं छात्र के माता-पिता के साथ करार किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाये।